

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]	नई दिल्ली, मंगलवार, मई 10, 2016 वैशाख 20, 1938	
No. 331]	NEW DELHI, TUESDAY, MAY 10, 2016/ VAISAKHA 20, 1938	

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

सा.का.िन. 497(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातु :--

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2016 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में,--
- (क) अनुसूची 1 में, क्रम संख्यांक 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थातु :--

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक		
(1)	(2)	(3) (4)			
"10क.	अपशिष्ट के सह	क. उत्सर्जन मानक			
	प्रसंस्करण सहित	(i) धूर्णक भठ्ठा – अपशिष्ट सह प्रसंस्करण सहित			
	सीमेंट मानक संयंत्र		प्रारंभ की तारीख	स्थान	अधिकतम सान्द्रता,
		मि.ग्रा./एन.एम.³ में			
			(ক)	(ख)	(ग)

2321 GI/2016 (1)

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड		मानक	
(1)	(2)	(3)		(4)	
	, ,	कणिकीय पदार्थ	अधिसूचना की तारीख से ही	देश में किसी भी स्थान पर	30
		(PM)	۶۱	41	
			अधिसूचना की तारीख से पूर्व	1.0 लाख से अधिक जनसंख्या वाले या उसके 5.0 कि.मी. परिधि के भीतर क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र या शहरी केंद्र क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र या	30
		सल्फर डाई- आक्साइड (SO ₂)	प्रारंभ की तारीख को ध्यान में रखे बिना	शहरी केंद्र से भिन्न देश में किसी भी स्थान पर	100, 700 और 1000, जब चूना-पत्थर में क्रमश: 0.25% से कम, 0.25 से 0.5% और 0.5% से अधिक पाइराइटिक सल्फर है।
		नाइट्रोजन आक्साइड	अधिसूचना की तारीख के पश्चात्	देश में किसी भी स्थान पर	(1) 600
		(NOx*)	अधिसूचना की तारीख से पूर्व (25.8.2014)	किसी भी स्थान पर	(2) इन-लाइन कैल्सिनर प्रौद्योगिकी सहित रोटरी किल्न के लिए 800। (3) आईएलसी, पृथक लाइन कैल्सिनर (एस एल सी) और सस्पेंशन प्रि-हीटर प्रौद्योगिकी या केवल एस एल सी प्रोद्योगिकी या बिना कैल्सिनर मिश्रित स्ट्रीम का उपयोग करते हुए रोटरी किलन के लिए
		हाइड्रोजन क्लोरा	इड	10 मि.र	ग्रा./ एन.एम.³
		हाइड्रोजन फ्लोरा			T./ एन.एम.³
		कुल कार्बनिक कार्ब		10 मि.र	ग्रा./ एन.एम.³
		मरकरी और इसके	यौगिक	0.05 मि	.ग्रा./ एन.एम.³
			ाम और उनके यौगिक		ग्रा./ एन.एम. ³
		क्रोमियम + तांब वेनेडियम और उन			ग्रा./ एन.एम.³
		डाइओक्सीन और	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	·	ीइक्यू/ एन.एम. ³
					अभिप्रेत हैं : सल्फर डाई- - HCL ; हाइड्रोजन फ्लोराइड

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक				
(1)	(2)	(3)	(4)				
		- HF ; कुल कार्बी	नेक कार्बन – TOC ; मरकरी - Hg ; कैडिमयम -Cd ; थैलियम - Tl ; एंटीमनी - Sb				
		; आर्सेनिक - As	; सीसा - Pb ; कोबाल्ट – Co ; क्रोमियम – Cr ; तांबा – Cu ; मैगनीज – Mn ;				
		निकैल – Ni ; वान	गाडियम – V ⊦ " ;				
		* कणकीय पदार्थ,	सल्फर डाईआक्साईड और नाइट्रोजन आक्साईड के संबंध में अनुपालन के लिए सांद्रण				
		मान और समय रे	खा समय-समय पर यथा संशोधित सा.का.नि. सं. 612 (अ.) तारीख 25 अगस्त, 2014				
		द्वारा प्रकाशित आ	धेसूचना के अधीन उपबंधों के अनुसरण में शासित होंगे ।				
		**अनुज्ञापन प्राधि	*अनुज्ञापन प्राधिकारी, मामला दर मामला आधार पर अपशिष्टों के सह प्रसंस्करणों के लिए यदि कुल				
		कार्बनिक कार्बन व	- ार्बनिक कार्बन का परिणाम नहीं है, पृथक् मानकों को विहित कर सकेगा ।				
		(क) प्रत्येक चिमन	ी की ऊंचाई, जिसके अंतर्गत खांगर पिसाई संयंत्र, कोयला मिल, अपरिष्कृत मिल,				
		पिसाई, संवे	ष्टन अनुभाग, आदि भी है, कम से कम 30 मीटर या H = 14 (Q1) ^{0.3} और H = 74				
		(Q2) ^{0.27} सू	त्र के अनुसार रहेगी, जो भी अधिक हो, जहां H चिमनी की ऊंचाई मीटर में और "Q1"				
		चिमनी के म	गाध्यम से सल्फर डाई-आक्साइड SO₂ के अधिकतम उत्सर्जन की कि.ग्रा./प्रति घंटा और				
		"Q2" संयं _?	ा की क्षमता के 100 प्रतिशत दर पर ढेर के माध्यम से PM उत्सर्जन टन/घंटा में				
			।।त्रा है, जो संयंत्र की शत-प्रतिशत रेटिंग क्षमता पर होगी।				
		ख. मुख्य भट्ठा ढे	र पर सल्फर आक्साईड, नाइट्रोजन आक्साइड, हाईड्रोजन क्लोराईड, हाईड्रोजन				
		फ्लोराईड,	फ्लोराईड, कुल कार्बिनिक कार्बन, धातु और डाइओक्सेन और फयूरोन की मानीटर मानों को 10				
		प्रतिशत आ	क्सीजन के शुष्क आधार पर मानकीकृत किया जाएगा और सल्फर डाईआक्साईड,				
		नाइट्रोजन अ	आक्साइड, हाईड्रोजन क्लोराईड, हाईड्रोजन फ्लोराईड, कुल कार्बनिक कार्बन, धातु और				
		डाइओक्सेन	और फयूरोन के लिए संनियम मुख्य भट्ठा ढेर को लागू होंगे तथा कणकीय पदार्थ के				
		लिए संनिय	म संयंत्र में सभी ढेरों को लागू होंगे । कणकीय, सल्फर आक्साईड, नाइट्रोजन के				
		आक्साइड व	आक्साइड की सतत मानीटरी होगी । हाईड्रोजन क्लोराईड, हाईड्रोजन फ्लोराईड, कुल कार्बनिक				
		कार्बन, धातु	कार्बन, धातु और डाइओक्सेन और फयूरोन की मानटरी वर्ष में एक बार होगी ।				
		। ग. उत्सर्जनों के म	।।र्जन के लिए आशयित मार्जक को शमन करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । ऐसे				
		संयंत्र, जो म	ार्जक यूनिट के लिए गैस उत्सर्जन हेतु पृथक्त: चिमनी रखते हैं उसके चिमनी की ऊंचाई				
		कम से कम	मुख्य चिमनी की ऊंचाई के समान होगी ।				
			ख—अपशिष्ट जल सफाई (बिना प्रसंस्करण के)				
		उद्योग के द्वारा अ	पूर्ति अपशिष्ट जल को 'शून्य निस्सारण' के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे । उद्योग के				
		आपूर्ति अपशिष्टः	जल निस्सारण चाहने की दशा में निम्नलिखित सन्नियमों का पालन किया जाएगा :				
			अधिकतम सान्द्रता, मि.ग्रा./एन.एम.³				
			(pH और तापमान के सिवाय)				
		pH	5.5 से 9.0				
		निलम्बित कण	100				
		तेल और ग्रीस	10				
		तापमान	प्रापक जल के तापमान से 5ºC से अधिक उच्चतर न हो ।				

क्र.सं.	उद्योग	मापदंड	मानक	
(1)	(2)	(3)	(4)	
		ग—वर्षाजल		
		(।) वर्षा जल को बहि:स्राव, उपचारित मल, मार्जक जल और/या तल घुलाई अपजल के साथ मिलाने की		
		अनुमति नहीं दी जाएगी ।		
		(॥) उद्योग की सीमाओं के भीतर वर्षा जल को पृथक् नालियों द्वारा प्रवाहित किया जाएगा ।"।		

(ख) अनुसूची VI में, साधारण उत्सर्जन मानक से संबंधित 'Part-D' के अधीन, भार या मात्रा आधारित मानक से संबंधित मद III में, क्रम सं0 10 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएगी. अर्थात :--

(1)	(2)	(3)	(4)
"10क	सीमेंट मानक (बिना प्रसंस्करण के)	धूर्णक भट्ठा पर आधारित संयंत्र (अपरिष्कृत मिल, भट्ठा और पूर्ण खांगर सिस्टम को साथ चलने से कणकीय पदार्थ)	खांगर का 0.125 कि.ग्रा./टन (01.01.2017 से) ⊦" ⊦

[फा. सं. क्यू.-15017/30/2007-सी.पी.डब्ल्यू.]

डॉ. राशिद हसन, सलाहकार

टिप्पण—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में का.आ. सं. 844(अ), 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना सं. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; सा.का.िन. सं. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल, 1996; सा.का.िन. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.िन. सं. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.िन. सं. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.िन. सं. 739(अ), तारीख 9 सितंबर, 2010; सा.का.िन. सं. 809(अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2010; सा.का.िन. सं. 215(अ), तारीख 15 मार्च, 2011; सा.का.िन. सं. 221(अ), तारीख 18 मार्च, 2011; सा.का.िन. सं. 354(अ), तारीख 2 मई, 2011; सा.का.िन. सं. 424(अ), तारीख 1 जून, 2011; सा.का.िन. सं. 446(अ), तारीख 13 जून, 2011; सा.का.िन. सं. 152(अ), तारीख 16 मार्च, 2012; सा.का.िन. सं. 266(अ), तारीख 30 मार्च, 2012; और सा.का.िन. सं. 277(अ), तारीख 31 मार्च, 2012; और सा.का.िन. सं. 820(अ), तारीख 9 नवंबर, 2012; सा.का.िन. सं. 176(अ), तारीख 18 मार्च, 2013; सा.का.िन. सं. 535(अ), तारीख 7 अगस्त, 2013; सा.का.िन. सं. 771(अ), तारीख 11 दिसंबर, 2013; सा.का.िन. सं. 2(अ), तारीख 2 जनवरी, 2014; सा.का.िन. सं. 229(अ), तारीख 28 मार्च, 2014; सा.का.िन. सं. 232(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 और सा.का.िन. सं. 325(अ), तारीख 7 मई, 2014, सा.का.िन. सं. 612(अ), तारीख 25 अगस्त, 2014; सा.का.िन. सं. 789(अ), तारीख 11 नवंबर, 2014; का.आ. 3305 (अ), तारीख 7 दिसंबर, 2015; का.आ.4(अ) तारीख 1 जनवरी, 2016; सा.का.िन. सं. 35(अ), तारीख 14 जनवरी, 2016 तथा अंतिम संशोधन सा.का.िन. सं. 281(अ), तारीख 7 मार्च, 2016 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2016

G.S.R. 497 (E). – In exercise of powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:-

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986,-
 - (a) in schedule I, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"S. No.	Industry	Parameter		Standards	
(1)	(2)	(3)		(4)	
"10A.	Cement Plant		A- E	mission Standards	
	with co-	Rotary Kiln – with co-processing of Waste		tes	
	processing of		Date of	Location	Concentration not to
	wastes		Commissioning		exceed, in mg/Nm ³
			(a)	(b)	(c)
		Particulate	on or after the date	anywhere in the	30
		Matter (PM)*	of notification	country	
			(25.8.2014)		20
			before the date of notification	critically polluted area or urban centres	30
			(25.8.2014)	with population	
			(23.6.2014)	above 1.0 lakh or	
				within its periphery	
				of 5.0 kilometer	
				radius	
				other than critically	30
				polluted area or	30
				urban centres	
		SO ₂ *	irrespective of date	anywhere in the	100, 700 and 1000 when
		502	of commissioning	country	pyritic sulphur in the
					limestone is less than
					0.25%, 0.25 to 0.5% and
					more than 0.5%
					respectively.
		NOx*	After the date of	anywhere in the	(1) 600
			notification	country	
			(25.8.2014)		
			Before the date of	anywhere in the	(2) 800 for rotary kiln
			notification	country	with In Line Calciner

(25.8.2014)		(ILC) technology.	
		(3) 1000 for rotary kiln	
		using mixed stream	
		of ILC, Separate Line	
		Calciner (SLC) and	
		suspension pre-heater	
		technology or SLC	
		technology alone or	
		without calciner.	
HCl	10 :	mg/Nm ³	
HF		ng/Nm³	
TOC		g/Nm ³ **	
Hg and its compounds	0.05	mg/Nm ³	
Cd +Tl and their compounds	0.05	mg/Nm ³	
Sb+As+Pb+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+V	and 0.5	mg/Nm ³	
their compounds			
Dioxins and Furans		TEQ/ Nm ³	
Note: The abbreviations used in the			
- Oxides of Nitrogen; HCl – Hydro			
Organic Carbon; Hg – Mercury; C			
Arsenic; Pb – Lead; Co – Cobalt; C	Cr – Chromium; Cu – Coppe	er; Mn – Manganese; Ni –	
Nickel; and V - Vanadium.";			
* The concentration values and tin NOx shall be governed in accordance GSR No. 612 (F), dated the 25 th Au	ce with the provisions under	notification published vide	
GSR No. 612 (E), dated the 25 th August, 2014 and amended from time to time.			
**Permitting authority may prescribe separate standards on case to case basis, if To Organic Carbon (TOC) does not result from the co-processing of waste. (a) The height of each individual stack connected to Kiln, Clinker Cooler, Cem Mill, Coal Mill, Raw Mill, Packaging section, etc. shall be of a minimum of metres or, as per the formula H = 14 (Q1) ^{0.3} and H = 74 (Q2) ^{0.27} whichever is more where "H" is the height of stack in metres and "Q1" is the maximum quantity SO ₂ expected to be emitted in kg/hr and "Q2" is the maximum quantity of the plant;			
at main kiln stack shall be con SO_{2} , NO_{x} , HCl , HF , TOC , C main kiln stack and the norm the stacks in the plant. PM ,	2, NO _x , HCl, HF, TOC, Metalorrected to 10% Oxygen, on of Metals and Dioxins and Furns for Particulate Matter (PM SO ₂ , NO _x shall be monitored of Furans shall be monitored or the state of the stat	dry basis and the norms for cans shall be applicable to I) shall be applicable to all ed continuously. HCl, HF,	
having separate stack for gas stack shall be at least equal t		oing unit, the height of this	
B- Service was All efforts shall be made by the inc case, the industry prefers to discha- complied with:	-	service wastewater and in	
	Concentration not to exce (except pH and temperatu		
рН	5.5 to	9.0	
Suspended Solids	10		
Suspended Sonds	10	ıu	

Oil and Grease	10
Temperature	not more than 5°C higher than the intake water temperature
water and or or floor washing	C- Storm water lowed to mix with effluent, treated sewage, scrubber ss. imits of industry shall be channelised through separate

(b) in Schedule VI, under 'Part-D' relating to General Emission Standards, in item III relating to Load or Mass based standards, after serial number 10 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"10A	Cement Plants (with co-	Rotary kiln based plants (Particulate	0.125 kg/ tonne of clinker.".
	processing)	Matter from raw mill, kiln and pre-	
		calciner system put together)	

[F. No.- Q-15017/30/2007-CPW] Dr. RASHID HASAN, Advisor

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,Sub-section (i), *vide* number S.O. 844 (E), dated the 19th November, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

S.O. 433 (E), dated the 18th April 1987; G.S.R. 176(E), dated the 2nd April, 1996; G.S.R. 97 (E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149 (E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July,2009; G.S.R. 739 (E), dated the 9th September, 2010; G.S.R. 809(E), dated, the 4th October, 2010, G.S.R. 215 (E), dated the 15th March, 2011; G.S.R. 221(E), dated the 18th March, 2011; G.S.R. 354 (E), dated the 2nd May, 2011; G.S.R. 424 (E), dated the 1st June, 2011; G.S.R. 446 (E), dated the 13th June, 2011; G.S.R. 152 (E), dated the 16th March, 2012; G.S.R. 266(E), dated the 30th March, 2012; and G.S.R. 277 (E), dated the 31st March, 2012; and G.S.R. 820(E), dated the 9th November, 2012; G.S.R. 176 (E), dated the 18th March, 2013; G.S.R. 535(E), dated the 7th August, 2013; G.S.R. 771(E), dated the 11th December, 2013; G.S.R. 2(E), dated the 2nd January, 2014; G.S.R. 229 (E), dated the 28th March, 2014; G.S.R. 232(E), dated the 31st March, 2014; G.S.R. 325(E), dated the 07th May, 2014, G.S.R. 612, (E), dated the 25th August 2014; G.S.R. 789(E), dated the 11th November 2014; S.O. 3305(E), dated the 7th December, 2015; S.O.4(E), dated the 1st January 2016; G.S.R. 35(E), dated the 14th January 2016 and lastly amended vide notification G.S.R. 281 (E), dated the 7th March, 2016.